उत्तरांचल शासन

वित्त अनुभाग–5

सं0–345 / अ0 स0 वि0 / व्या0 कर / 2003

देहरादून :: दिनांक :: 25 जुलाई, 2003

आयुक्त, कर,
उत्तरांचल, देहरादून।

समरी योजना वर्ष 2001–2002 एवं वर्ष 2002–2003

कृपया कमिश्नर, व्यापारकर, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या–647 / बीस–1299 / 99–2000–1412 दिनांक 20–12–99 का संन्दर्भ लें, जिसके द्वारा वर्ष 98–99 तक के वादों के लिये समरी डिस्पोजल योजना चलायी गयी थी। यह परिपत्र उत्तरांचल बनने के पूर्व का था, अतः इस परिपत्र के अनुसार वर्ष 98–99 तक के वादों के लिये यह योजना उत्तरांचल में भी लागू थी।

2– उत्तरांचल गठन के उपरान्त उत्तरांचल में इस प्रकार की योजना लागू नही की गयी है। अतः इसके उपरान्त के वादों का निस्तारण नियमित वादों के रुप में उत्तरांचल में हो रहा है, जिसके कारण छोटे–छोटे व्यापारियों को भी कार्यालय में बुलाकर वादों का निस्तारण किया जाता है। इससे एक ओर विभाग का कार्य बढ़ता है, दूसरी ओर व्यापारियों को भी अनावश्यक रुप से कार्यालय में आना पड़ता है। अतः छोटे एवं राजस्व की दृष्टि से कम महत्वपूर्ण अनिस्तारित वादों के लिये शासन स्तर पर समरी निस्तारण योजना लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। यह योजना वर्ष 2000– 2001, 2001–2002 एवं 2002–2003 के इस श्रेणी के अनिस्तारित करनिर्धारण वादों के लिये होगी।

3– जिन मामलों में सूचनाओं के आधार पर अपंजीकृत व्यापारी अभिलेख पर पूर्व वर्षो में लाये गये हैं, किन्तु वर्ष 2000–2001, वर्ष 2001–2002 व वर्ष 2002–2003 के लिये इन व्यापारियों के सम्बन्ध में व्यापार करने की कोई सूचना नही है तो इस प्रकार के व्यापारियों की पत्रावली नही खोली जाय और यदि पत्रावलियों खोल दी गयी हैं तो आदेशफलक पर इस टिप्पणी के साथ कि गत वर्ष व्यापारी के विरुद्ध सूचना के आधार पर पत्रावली खोली गयी थी, इस वर्ष के लिये अभिलेख पर कोई सूचना उपलब्ध नही है, पत्रावली बन्द कर दी जाय। यदि बाद में इस प्रकार के मामलों में कोई सूचना प्राप्त होती है तो तब उसी वर्ष के लिये नियमित करनिर्धारण किया जाय।

4– केवल कर प्रदत्त माल का व्यापार करने वाले करदाताओं के वादों में जिनमें समस्त रूप पत्र प्रस्तुत हैं, में निम्न शर्तो के अधीन करदाता को कार्यालय बुलाये बिना धारा 7(2) के अन्तर्गत रूपपत्रों को स्वीकार करते हुये व्यापारियों को करमुक्त घोषित किया जा सकता है।

(क) पंजीकृत करदाता जिन्होंने केवल निर्माता / आयातकर्त्ता के बिन्दु पर करयोग्य वस्तुओं का व्यापार किया है, किन्तु स्वयं कोई निर्माण अथवा आयात नही किया है।

(ख) निर्माण अथवा आयात की कोई सूचना उपलब्ध नही है।

(ग) केवल स्थानीय करप्रदत्त माल का क्रय करके बिक्री की गयी है, जिस पर कोई करदेयता नही है।

(घ) व्यापार कर विभाग से कोई प्रपत्र प्राप्त नही किया गया है।

(ड) क्रय करयोग्य अथवा उपभोक्ता के बिन्दु पर करयोग्य वस्तुओं का व्यापार नहीं किया गया है।

पूर्व वर्षो की भांति आयात कर्ता अथवा निर्माता द्वारा बिक्री के बिन्दु पर करदेय वस्तुओं को उत्तरांचल के अन्दर से खरीद और उत्तरांचल के अन्दर बिक्री करने वाले व्यापारियों के मामलों में कर निर्धारण वर्ष 2000–2001, 2001–2002 एवं 2002–2003 के लिये ऐसे व्यापारियों को कार्यालय में बिना बुलाये धारा 7(2)/7(3) के अन्तर्गत कर निर्धारण आदेश पारित किये जायेंगे। व्यापारियों द्वारा माल की खरीद की सूची जिसमें बिक्रेता व्यापारियों का पूर्ण नाम व पता, पंजीयन संख्या, इसके प्रभावी होने की तिथि, माल का नाम, मूल्य तथा खरीद की तिथि अंकित है, वर्ष 2000–2001 के वादों के लिये दिनांक 31–08–2003 तक तथा वर्ष 2001–2002 एवं वर्ष 2002–2003 के लिये क्रमशः 31–10–2003 तथा 30–11–2003 तक प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। यदि व्यापारी यह घोषणा करते हैं कि उनका वाद उपरोक्त योजना के अर्न्तगत आता है और वह योजना का लाभ उठाने का इच्छुक है किन्तु उक्त निर्धारित तिथि तक सूची तैयार कर प्रस्तुत नही कर सके हैं, सूची प्रस्तुत करने के लिये समय की मांग की जाती है, तब निर्धारित तिथि के वाद एक माह का समय सूची प्रस्तुत करने हेतु दे दिया जाय। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्ष 2000–2001 के लिये दिनांक 08–11–2000 तक की उ0 प्र0 से की गयी खरीद प्रान्तीय खरीद ही मानी जायेगी।

योजना के अन्तर्गत आने वाले व्यापारियों के सम्बन्ध में यदि कर निर्धारण वर्ष में दाखिल किये जाने वाले सम्पूर्ण रुपपत्र–4 प्रस्तुत नही किये गये हैं किन्तु माल के खरीद की सूची प्रस्तुत कर दी गयी है तथा योजना के अन्तर्गत अन्य शर्तें पूर्ण हैं और गत तीन वर्षो में व्यापारी करमुक्त घोषित किया गया है तब ऐसे व्यापारी को भी योजना का लाभ देते हुये उसे कार्यालय में बिना बुलाये धारा 7(3) के अन्तर्गत करमुक्त घोषित किया जायेगा।

यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि योजना के अन्तर्गत आने वाले व्यापारियो द्वारा खरीद की सूची दाखिल कर दिये जाने पर कार्यालय में जांच हेतु नही बुलाया जायेगा। व्यापारी के मामले में आदेश पारित करने के उपरान्त सूची में से कुछ मामलों में बिक्रेता व्यापारियों के कर निर्धारण अधिकारियों को सूचना प्रेषित कर सत्यापन की कार्यवाही की जायेगी। यदि खरीद असत्यापित पायी जाती है तब व्यापारी को धारा–21 के अन्तर्गत नोटिस देकर कार्यवाही की जायेगी।

सभी करनिर्धारण अधिकारी प्रथम दृष्टया योजना के अन्तर्गत आने वाले व्यापारियों की सूची दिनांक 31–08–2003 तक तैयार कर लेंगे। सूची में ऐसे व्यापारियों को भी सम्मिलित किया जायेगा जो प्रथम दृष्टयॉ योजना के अन्तर्गत आते हैं किन्तु उनके मामलों में नियमित कर निर्धारण कार्यवाही के लिये नोटिस जारी की गयी है और ऐसे मामलों में सुनवाई अग्रिम सूचना तक स्थगित कर देगें ताकि व्यापारी योजना का लाभ उठा सकें।

(इन्दु कुमार पाण्डे),
प्रमुख सचिव वित्त